

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 171 / प्र0अ0(भवन) / जोन-6 / वि0प्रा0 / 2013-14 दिनांक 2 / 09 / 2015

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अर्न्तगत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित "गुरुकुल मान्टेसरी हाई स्कूल" मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती प्रमिला सिंह अध्यक्ष, उत्कर्ष सेवा संस्थान द्वारा आराजी संख्या-466 एवं 467 मौजा-फाफामऊ परगना व तहसील-सोरांव जिला इलाहाबाद जोन संख्या (6) के अर्न्तगत दाखिल प्रस्तावित "गुरुकुल मान्टेसरी हाई स्कूल" मानचित्र मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 09-09-2015 के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 40 अद्द वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदिका/संस्था का होगा।
5. स्थल पर निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जाय।
6. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
7. सोलर वाटर हीटींग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जाय।
8. निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं उत्सर्जित मलवा अपने परिसर में रखना होगा, दिये गये शपथ पत्र (59AC 913067 दिनांक 20.07.2015) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
9. शपथ पत्र (59AC 913124 दिनांक 24.07.2015) में अंकित समस्त शर्तों का अनुपालन संस्था/आवेदिका को बाध्यकारी होंगे।
10. स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर मुख्य अभियन्ता-विद्युत इलाहाबाद की अनापत्ति प्राप्त कराने का दायित्व संस्था का होगा।
11. उप निदेशक अग्निशमन सेवा इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2015/13070/इला0/120/डीडी दिनांक 27.08.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

Keerup
Vijay
22/9
115926658

for




STILT FLOOR PLAN OF BLOCK-A


FIRST FLOOR PLAN OF BLOCK-A

SECOND FLOOR PLAN OF BLOCK-A

THIRD FLOOR PLAN OF BLOCK-A



FRONT ELEVATION OF BLOCK-A



SECTION ON 'A-B' OF BLOCK-A

यह ब्लॉक केवल 1000 घ. मी. का एक भाग है। इस ब्लॉक का पूरा ब्लॉक बनाने के लिए 1000 घ. मी. का ब्लॉक बनाने की आवश्यकता है।
 1000 घ. मी. का ब्लॉक बनाने के लिए 1000 घ. मी. का ब्लॉक बनाने की आवश्यकता है।
 1000 घ. मी. का ब्लॉक बनाने के लिए 1000 घ. मी. का ब्लॉक बनाने की आवश्यकता है।

श्री. वि. वि. वि.
 श्री. वि. वि. वि.
 श्री. वि. वि. वि.
 श्री. वि. वि. वि.



PROJECT
 PROPOSED SCHOOL BUILDING PLAN FOR
 "GURUKUL MONTESSORI HIGH SCHOOL" ON
 ARAZI NO-436 & 467 AT PHAPHAMAJI
 (SHANTIPURAM) PARGANA AND TEHSIL SORANG,
 ALLAHABAD

DRG. NO. HMC/PROP-1707/OCT-13
 SHEET NO. 2/2
 SIZE A1
 SCALE 1:100
 DATE OCT. 13
 DEALT BY

CHECKED BY: E. MITRALESH KUMAR
 E. MITRALESH KUMAR
 E. No. 24/A/14
 Regd. No. 84-48574-3
 THE INSTITUTION OF ENGINEERS
 SEAL & SIGN. OF ENGINEERS

S. NO.	DESCRIPTIONS	OWNER
1.	REQUIRED PARKING = 3000 (20' X 100' X 8) CARS	1. SRI KRISHNA SHANKAR SINGH
2.	PROVIDED PARKING	2. SRI OM PRakash SINGH
3.	STILT FLOOR - 1000 (10' X 100' X 10)	BOTH SRI KRISHNA SINGH
4.	OFFICE PARKING = 400 (10' X 10' X 10)	
5.	IN BLOCK GARAGEMENT = 1000 (10' X 10' X 10)	

AGRICULTURAL ENGINEER (REGISTERED)
 E. MITRALESH KUMAR
HOME CONSULTANT
 29/271-A MAIN PRABU STANLEY ROAD
 ALLAHABAD. PIN 202014